

प्रेस विज्ञप्ति

थाना- कप्तानगंज

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद आजमगढ़ व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर आजमगढ़ के दिशा निर्देशन व कुशल नेतृत्व में चलाये गये अभियान में आज दिनांक 16.10.2020 को उ0नि0 सरोज कुमार मिश्र मय हमराह द्वारा तलाश वांछित अपराधी व वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में मुखबिरी सूचना पर उ0नि0 सरोज कुमार मिश्र मय हमराहियान द्वारा प्रकाश में आये अभियुक्त पवन चौहान पुत्र मटरू चौहान ग्राम मेहमौनी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष सम्बन्धित मु0अ0सं0 06/2020 धारा 457/380/411 भादवि को गिरफ्तार कर अभियुक्त को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु रवाना किया गया।

थाना-रौनापार

02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वादिनी मुकदमा श्रीमति इन्दू सिंह (BLO) प्राथमिक विद्यालय बघावर I थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ की ड्यूटी ओढ़रा सलेमपुर मतदाता पुनरीक्षण में लगी थी। कि ओढ़रा सलेमपुर के दो व्यक्तियों द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालकना व महिला बीएलओ कर्मी को गाली गुप्ता देने व जान से मारने की धमकी के सम्बन्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 201/2020 धारा 353/504/506 भादवि पंजीकृत कराया गया।

दिनांक: 16.10.2020 को थाना क्षेत्र रौनापार में उ0नि0 संतोष कुमार थाना रौनापार द्वारा मय फोर्स के त्रुटि रहित चेकिंग की जा रही थी।। दौरान चेकिंग जरिये मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 201/2020 धारा 353/504/506 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ में वांछित अभियुक्त (1) शैलेश सिंह पटेल पुत्र चन्नर सिंह पटेल (2) रविन्दर सिंह पटेल पुत्र सत्यनारायन सिंह पटेल निवासीगण ओढ़रा सलेमपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को ओढ़रा सलेमपुर से समय लगभग 11.20 बजे गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

थाना-रौनापार

नाबालिक लड़की को बहला-फूसलाकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

शिवचन्द पटेल थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ की लिखित तहरीर के आधार पर जिसमे अभियुक्त गण द्वारा वादी की पुत्री उम्र लगभग 17 वर्ष को बहला फूसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 193/2020 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत कराया गया जिसमें दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गयी।

दिनांक: 16.10.2020 को उ0नि0रामजीत थाना रौनापार द्वारा मय फोर्स के त्रुटि रहित चेकिंग की जा रही थी।। दौरान चेकिंग जरिये मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 193/2020 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ में वांछित अभियुक्त1. अरविन्द यादव पुत्र हरिनाथ यादव निवासी बूढ़नपट्टी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को करखिया मोड़ से समय लगभग 10.30 बजे गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।